छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

छत्तीसगढ़

दाण्डिक अपील संख्या 327/2004

अपीलार्थी : 1] जगन नगेसिया, पिता–बीगू नगेसिया,
(जेल में) आयु–33 वर्ष लगभग, व्यवसाय–किसान
निवासी–ग्राम, पियारटोली पारा, बक्सापुर,
थाना–कुसमी, जिला – सरगुजा (छ.ग.)

2] मनदीप उर्फ प्रशांत उर्फ प्रभात ठाकुर,
पिता-प्रसिद्ध ठाकुर(नाई), आयु-21 वर्ष
व्यवसाय-किसान,निवासी-ग्राम बंडूचुतरु,
थाना-राँका, जिला-गड़वा (झारखंड)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3] मनदेव, पिता–लड़िया भुईहार, आयु–31 वर्ष,
व्यवसाय–किसान, निवासी–ग्राम भालूपानी,
थाना–शंकरगढ़, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

4] इंद्रजीत नगेसिया, पिता– देवर नगेसिया,
आयु–36 वर्ष, व्यवसाय– किसान,
निवासी–ग्राम चरहटखुर्द, थाना–कुसमी,
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा; थाना कुसमी
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

दाण्डिक अपील संख्या 327/2004

अपीलार्थी : जगन नगेशिया एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

अपीलार्थी द्वारा- श्री मनोज परांजपे अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी/राज्य द्वारा- श्री डी. के. ग्वालरे पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(06-10-2005 को पारित)

न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रदत्त

अपीलार्थीयों ने यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 45/2003 में पारित दिनांक 22.1.2004 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके तहत उन्हे भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 147, 148, 152, 186 और 353 के तहत दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः 5 वर्ष के लिए 500/- रुपये का जुर्माना, 2 वर्ष के लिए 100/- रुपये का जुर्माना, 1 वर्ष के लिए 100/- रुपये का जुर्माना, 3 माह के लिए 500/- रुपये का जुर्माना, 3 माह और 2 वर्ष के लिए सश्रम कारावास से दंडित किया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि थाना कुसमी के प्रधान आरक्षक (अ.सा. -8) सुरेश चंद्र मिन्ज ने दिनांक 10–08–2001 को लगभग 6.30 बजे अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध देहाती नलिसी दर्ज कराई कि थाना कुसमी के थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना मिली कि फरार आरोपी दशरथ नगेशिया ग्राम धवई टोली (टाटी झरिया) में अपने घर में छिपा हुआ है और उस सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस दल

जिसमें हरिचरण सिंह, थाना प्रभारी (अ.सा. -17), सुरेश चंद्र मिंज, प्रधान आरक्षक (अ.सा.-8), हरिन्द्र नाथ, प्रधान आरक्षक (अ.सा.-8), पुष्पेंद्र राव, आरक्षक, रामसाय टोप्पो, आरक्षक और राकेश कुमार, ड्राइवर (अ. सा. -6) शामिल थे, जिसका नेतृत्व आर.के. कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) थे, ने दिनांक 9.8.2001 को 17.00 बजे उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही की और उन्हें पता चला कि सुखना नगेसिया और बालेश्वर नगेसिया के घर में 20–23 नक्सलियों के लिए भोजन तैयार किया गया था और भोजन करने के बाद उक्त नक्सली ग्राम लक्ष्मणपुर कि ओर चले गए थे। जब पुलिस द्वारा रामचन्द्र नगेसिया से नक्सलियों के ठिकाने के बारे में पूछताछ कि जा रही थी, तब ड्राइवर राकेश कुमार सिंह वहाँ पहुंचा और पुलिस अधिकारियों को बताया कि नक्सली उनके पास आ रहे हैं। इसके बाद, पुलिस दल ने स्थिति संभाली और नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने कि चेतावनी दी। हालांकि, आत्मसमर्पण करने के बजाय नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी जो रातभर जारी रही। तथापि, दिनांक 10.8.2001 को प्रातः 5.20 बजे जब नक्सलियों ने फायरिंग बंद कर दी, तब पुलिस दल ने यह सोचकर कि नक्सली भाग गए हैं, अपना मोर्चा संभाल लिया, नक्सलियों कि ओर से पुनः फायरिंग प्रारंभ हुई, जिसमें एक गोली थाना प्रभारी हरिचरण सिंह के सीने के बाएं हिस्से में लगी तथा पीठ को छेदती हुई निकल गई। तत्पश्चात, सभी नक्सली जिनकी संख्या 20–23 थी, जिनमें खाकी वर्दी पहने तीन नक्सली महिलायें भी शामिल थी, घटनास्थल से भाग गए। तत्पश्चात, देहाती नालसी (प्रदर्श–पी/8) के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–पी/9) पंजीबद्ध की गई। जांच के दौरान पटवारी रेंगू सिंह (अ.सा.–2) द्वारा घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श–पी/1 एवं प्रदर्श–पी/2) तैयार किया गया। तत्पश्चात, घायल थाना प्रभारी को चिकित्सालय भेजा गया, चिकित्सा विवरण प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/7 है। जब्त सामग्री को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/5 है। अन्वेषण के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रदर्श–पी/16 के तहत मुकदमा चलाने कि अनुमति दे दी। हालांकि, अपीलकर्ताओं द्वारा अभिवाक किया कि मामले मे उन्हें झूठा फँसाया गया है, उनके विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 साक्षियों का परीक्षण कराया है, जिनके नाम थे, रामसाई टोप्पो, आरक्षक (अ.सा.-1), रेंगू सिंह, पटवारी (अ.सा.-2), एच.पी.सिंह, निरीक्षक (अ.सा.-3), बेगुन राम

(अ.सा.-4), डॉ. टी. साईं (अ.सा.-5), राकेश सिंह सेंगर, वाहन चालक (अ.सा.-6), रवि कुमार कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) (अ.सा.-7), सुरेश चंद्र मिंज, प्रधान आरक्षक (अ.सा.-8), इंदर (अ.सा.-9), हरदेव (अ.सा.-10), मनपोद (अ.सा.-11), रामचन्द्र (अ.सा.-12), जाथुराम (अ.सा.-13), जे.बी. पंडा (अ.सा.-14), आर.एन. यादव, निरीक्षक (अ.सा.-15), बरनाबस एक्का, प्रधान आरक्षक (अ.सा-16), हरिचरण सिंह, निरीक्षक (अ.सा.-17), और हरिन्द्र नाथ, प्रधान आरक्षक (अ.सा.-18), विचारण न्यायालय ने गवाहों अर्थात अ.सा.-3, अ.सा.-5, अ.सा.-6, अ.सा.-7, अ.सा.-17, और अ.सा.-18 के बयानों के आधार पर, उपरोक्त वर्णित अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्तानुसार दंडित किया।

4. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश को चुनौती दिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) कि घायल साक्षी हरिचरण सिंह, (अ.सा.-17) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आर.के. कुर्रे (अ.सा.-7) द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई है;

(2) विवेचना के दौरान कोई पहचान परेड नहीं कराई गई थी और अभियुक्त व्यक्ति गवाहों के लिए ज्ञात नहीं थे और केवल विचारण के दौरान पहली बार न्यायालय मे उनकी पहचान के आधार पर, अभियुक्तों को ऊपर वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया है;

(3) कि सभी साक्षी पुलिस कर्मी हैं और उनमें से किसी ने भी डायरी बयान या देहाती नालिसी में यह नहीं कहा है कि वे अभियुक्तों को पहचानते है और चूंकि उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में सुधार किया है, वे विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके

बयानों पर भरोसा करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए और उपरोक्त अनुसार दण्डित किया है;

(4) अभियुक्तों से ऐसी कोई भी वस्तु जब्त नहीं कि गई है जो उनको उपरोक्त अपराध से संबंध स्थापित कर सके। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि गोलीबारी पूरी रात जारी रही, लेकिन घटनास्थल से कोई खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ है;

(5) कि यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि घटना मे 20-23 नक्सली शामिल थे, उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि अभियुक्त बंदूक लेकर चल रहे थे या बंदूक से गोली चला रहे थे तथा केवल सामान्य आरोपों के आधार पर अपीलकर्ताओं को ऊपर वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के दोषसिद्ध किये जाने के निर्णय का समर्थन किया और अभियुक्तों को उपरोक्तानुसार दंडित करते हुए, यह तर्क दिया है कि यह न्यायसंगत एवं उचित है तथा इस अपील मे इसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप कि आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दण्डित करने वाले विचारण न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अ.सा.-5 के बयान पर आधारित है, जो घायल का इलाज करने वाला डॉक्टर है। उक्त डॉक्टर ने कहा है कि घायल के शरीर पर लगी चोटें क्रमांक 1 और 2 बंदूक से लगी थी। उन्होंने आगे कहा कि ये चोटें गंभीर प्रकृति की थी और परीक्षण से 12 घंटे पहले लगी थी। चूंकि घायल

के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर बंदूक की मदद से चोटें पहुंचाई गई है, इसलिए हत्या करने के आशय का अनुमान लगाया गया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने घायल साक्षी (अ. सा.-17) के बयान पर भरोसा किया है जिसने कहा है कि वह घटना कि तारीख को पुलिस दल के साथ था और उसने अभियुक्तों को चेहरे से पहचाना, हालांकि वह उन्हे नाम से नहीं जानता था। उसने आगे कह कि जब पुलिस दल रास्ते में थी, तो अभियुक्त पीछे से आए और उन्हें मारने के आशय से गोली बारी शुरू कर दी और रातभर गोलीबारी जारी रही और सुबह लगभग 5.20 बजे बंद हुई। हालांकि, थोड़ी देर रुकने के बाद नक्सलियों ने फिर से गोलीबारी की और एक गोली घायल के सीने के बाएं हिस्से मे लगी और उसके पीठ को चीरती हुई निकल गई। हालांकि, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि सुरेश चंद्र मिंज द्वारा देहाती नालसी दर्ज कराने के समय वह बेहोश था और इसलिए, यह तथ्य कि उसने अभियुक्तों को चेहरे से पहचाना और उन्हें भागते हुए देखा, को सुरेश चंद्र मिंज को नहीं बताया । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्तों को पहली बार उस स्थान पर देखा था जहां घटना हुई थी और उसके बाद उसने उन्हें न्यायालय में देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने आर.के. कुर्रे (अ. सा.-7) के बयान को आधार बनाया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य मे कहा है कि उन्होंने अभियुक्तों मनदीप और जगन को पहचाना और अन्य को नहीं पहचाना। जिन्होंने आगे कहा है कि जब वे फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लक्ष्मणपुर गाँव मे पुलिस दल पर नक्सलियों ने फायरिंग कि थी, जिसके कारण उप-निरीक्षक हरिचरण सिंह को सीने पर गोली लगी थी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि देहाती नालसी दर्ज करते समय उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था क्योंकि उस समय उनका ध्यान घायल उप-निरीक्षक हरिचरण सिंह कि ओर था और विवेचना के दौरान डायरी बयान दर्ज नहीं किया गया था।

10. पुलिस दल जिस जीप मे सवार हुई थी, उसके वाहन चालक राकेश सिंह सेंगर (अ.सा.-6) ने अपने बयान मे कहा है कि वह मनदीप और जगन नाम के अभियुक्तों को पहचानता है, लेकिन अन्य को नहीं पहचानता। उसने यह भी कहा है कि जब पुलिस दल लक्ष्मणपुर पहुंची, तो 15-20 कि संख्या मे मौजूद अभियुक्तों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद पुलिस ने पोजिशन ले ली और दोनों तरफ से

फायरिंग शुरू हो गई और पूरी रात चली इस फायरिंग में थाना प्रभारी हरिचरण सिंह (अ.सा.-17) घायल हो गए। हालांकि, प्रतिपरीक्षण मे उसने कहा है कि उसने जो भी बयान दिया है, वह थाना प्रभारी (पुलिस) के कहने पर दिया है क्योंकि वह उसका अधीनस्थ था।

11. प्रधान आरक्षक हरिन्द्र नाथ (अ.सा.-18) ने अपने कथन मे कहा है कि वह सभी अभियुक्तों को पहचानता है। उसने आगे कहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह पुलिस दल के साथ था और उन्होंने अपने जीप टाटी झरिया गाँव मे छोड़ दी और पैदल ही आगे बढ़ गए। जब वे लक्ष्मणपुर गाँव पहुंचे तो राइफल और बंदूक लिए दो महिला सदस्यों सहित 20–22 नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई मे पुलिस दल ने भी उन पर गोलीबारी की और इस गोलीबारी मे थाना प्रभारी (अ.सा.-17) को सीने में गोली लगी। उसने आगे कहा है कि चूंकि नक्सली उनके बहुत करीब आ गए थे, इसलिए उसने उनके चेहरे देखे। उसने यह भी कहा है कि न्यायालय मे मौजूद अभियुक्तों ने वास्तव मे उन पर गोली चलाई थी। हालांकि, अपने कथन के कंडिका 7 में उसने कहा है कि पुलिस के सामने डायरी कथन करते समय उसने उन्हे बताया कि जब उसने पलट कर अभियुक्तों को देखा तो उसने उन्हे पहचान लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस अपील में विचारण किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति अजनबी होने के कारण प्रत्यक्षदर्शियों को ज्ञात नहीं थे और अभियोजन पक्ष ने विवेचना के दौरान पहचान परेड नहीं कराई और क्या गवाहों द्वारा विचारण के दौरान प्रथम बार किये गए पहचान पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध और दण्डित करने के लिए विश्वास किया जा सकता है।

13. यह विवादित नहीं है कि पहचान परेड न कराने से न्यायालय मे पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि न्यायालय मे पहचान का साक्ष्य ही मुख्य साक्ष्य है और पहचान परेड परीक्षण अभियुक्त की पहचान के बारे मे न्यायालय मे गवाहों कि शपथबद्ध गवाही कि पुष्टि करता है। उचित मामलों में न्यायालय मे पहचान के साक्ष्य को ऐसे या अन्य पुष्टिकरण पर जोर दिए बिना भी न्यायालय स्वीकार कर सकता है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है।

14. वर्तमान मामले मे, मेरी राय है कि गवाहों के बयानों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, जिसमे उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पहली बार न्यायालय मे अभियुक्तों कि पहचान की है और वह भी तब जब यह पहचान परीक्षण परेड द्वारा यह पहचान पुष्ट नहीं हुई है, निम्नलिखित कारणों से:

I. कि सभी साक्षी जिन्होंने अभियुक्तों को पहचाना है वे पुलिस अधिकारी है और सभी स्वतंत्र साक्षी जिनकी अ.सा.-9, अ.सा.-10, अ.सा.-11, अ.सा.-12 और अ.सा.-13 के रूप में परीक्षण कराया गया है, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है;

II. कि अभियुक्त गवाहों के लिए अजनबी थे और घटना रात मे हुई थी जैसा कि पिछले कंडिका मे पहले ही चर्चा कि जा चुकी है, जिन गवाहों के बयानों को विचारण न्यायालय ने आधार माना है उनमें से किसी ने भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि वे घटना में शामिल अभियुक्तों को पहचानते है और वे उन्हें पहचान सकते थे। इसके अलावा, किसी भी साक्षी ने न तो रोजनामचा संहा और न ही डायरी बयानों मे कोई विवरण दिया है। इसस प्रकार इसस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी घटना मे 20–23 लोग शामिल थे, गवाहों द्वारा विचारण के दौरान न्यायालय मे पहली बार पहचान करना जो कोई और नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी है, विश्वसनीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मलखान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार माना, जो (2003) 5 एससीसी 746 में प्रकाशित किया गया था तथा तर्क दिया कि पहचान परेड न कराने से न्यायालय मे पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहचान परेड ठोस साक्ष्य नहीं है तथा ठोस साक्ष्य ही न्यायालय मे पहचान का साक्ष्य है, तथा पहचान परेड न्यायालय मे अभियुक्त कि पहचान के बारे मे गवाहों की शपथबद्ध गवाही कि पुष्टि करती है। उचित मामलों मे अभियुक्त को न्यायालय मे पहचान के साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा

सकता है, तथा ऐसी पहचान प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए, तथा इस संबंध मे कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त उद्धृत निर्णय के कंडिका 10 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय में अभियुक्त कि पहचान को अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य से नहीं जोड़ा जा सकता है, जहां पहचान करने वाला साक्षी एक पूर्ण अजनबी है, जिसने पहचाने गए व्यक्ति कि बस एक झलक देखी थी या जिसके पास संबंधित व्यक्ति को ज्ञात रखने का कोई विशेष कारण नहीं था, यदि पहचान न्यायालय मे पहली बार की गई हो।

16. वर्तमान मामले में भी, इसके अलावा, विवेचना के दौरान किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा कि वे अभियुक्तों को पहचानने कि स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों की पहचान करने के लिए अपने बयान मे कोई विशेष कारण नहीं बताया है।

17. वर्तमान मामले मे अभियुक्तों को घटना की तारीख के लगभग एक वर्ष बाद अर्थात 28.8.2002, 30.8.2002, 19.9.2002 और 30.9.2002 को गिरफ्तार किया गया था और चूंकि लगभग सभी साक्षी पुलिस अधिकारी थे, इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए पहचान परीक्षण परेड आयोजित करना और भी आवश्यक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त विश्लेषणात्मक चर्चा के मद्देनजर मेरा विचार है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में दोषसिद्धि और दण्डादेश को बरकरार रखना संभव नहीं है। इस प्रकार अपील सफल हो जाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्तों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले विचारण न्यायालय के

आक्षेपित आदेश को खारिज किया जाता है। अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता ना हो तो उन्हे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

हस्ताक्षरित/–

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Ms. Kiran Sahu (Adv.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur